

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक: प.18(36)नविवि/एन.ए.एच.पी/2014 पार्ट

जयपुर, दिनांक :

22 MAR 2018


आदेश

मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के अध्याय 3 के बिन्दु संख्या 8c (ii) में पॉलिसी के तहत आवेदित योजनाओं के अनुमोदन हेतु न्यास स्तर के लिए कमेटी का गठन किया गया था। उक्त कमेटी को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

1 अध्यक्ष, नगर विकास न्यास,	अध्यक्ष
2 सचिव, नगर विकास न्यास,	सदस्य
3 न्यास का अधीक्षण/अधीशाषी अभियंता	सदस्य
4 न्यास का तहसीलदार	सदस्य
5 न्यास का वरिष्ठ/उप नगर नियोजक	सदस्य सचिव

यदि न्यास में वरिष्ठ/उप नगर नियोजक पदस्थापित नहीं है तो नगर नियोजन विभाग के संबंधित जोनल ऑफिस का वरिष्ठ/उपनगर नियोजक सदस्य होगा तथा ऐसी स्थिति में न्यास का अधीक्षण/अधीशाषी अभियंता समिति का सदस्य सचिव रहेगा।


उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(राजेन्द्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, समस्त.....।
5. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त को आवश्यक कार्यवाही बाबत।
9. सलाहकार (नगर नियोजन), नगरीय विकास विभाग।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-प्रथम